<u>न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर</u>

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 206/2020 अपील (GCMS/2020/00214)
पंजीयन दिनांक - 03.03.2020
निर्णय दिनांक - 15.12.2020

1. श्री परसराम पिता ऊंकारलाल सुथार, निवासी नवाणिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
2. श्री चन्द्रशेखर पिता ऊंकारलाल सुथार, निवासी नवाणिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
3. श्री चमनशेखर पिता ऊंकारलाल सुथार, निवासी नवाणिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
4. श्री चंचल शेखर पिता ऊंकारलाल सुथार, निवासी नवाणिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

-अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती कौशल्या बाई (पुत्री ऊंकारलाल जी) पत्नि श्री रामलाल सुथार, निवासी खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती प्रेम बाई (पुत्री ऊंकारलाल जी) पत्नि श्री मोहनलाल सुथार, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती मंजुला बाई (पुत्री ऊंकारलाल जी) पत्नि श्री पूरणमल सुथार, निवासी सालेरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
4. श्रीमती उर्मिला (पुत्री ऊंकारलाल जी) पत्नि श्री उदयलाल सुथार, निवासी जुड, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
5. पटवारी, पटवार हल्का भोईयों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री खेमराज डांगी, दुर्गासिंह शक्तावत - वकील अपीलार्थी
2. श्री सम्पतलाल बोहरा - वकील प्रत्यर्थी-2

प्रकरण संख्या-06/2016, श्री परसराम सुथार व अन्य बनाम श्रीमती कौशल्या बाई व अन्य में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2020 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

<u>निर्णय</u>

दिनांक 15.12.2020

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा जिला उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या-06/2016, श्री परसराम सुथार व अन्य बनाम श्रीमती कौशल्या बाई व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2020 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा समक्ष ग्राम रकमपुरा, पटवार क्षेत्र भोईयों की पंचोली स्थित कृषि भूमि आ.स. 431 से 434 किता 4 रकबा 1.1000 हैक्टयर भूमि के सम्बन्ध में पारित ग्राम पंचायत बेडवास द्वारा पारित नामान्तकरण 122 दिनांक 21.09.2015 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत की गई। उक्त अपील में प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त भूमि एवं आ.स. 429 रकबा 0.0400 है. भूमि में 3/8 हिस्सा रूपीबाई पत्नि श्री ऊंकार के नाम दर्ज है। उपरोक्त आराजीयात पूर्व में श्रीमती मोडीबाई बेवा भागचन्द सुथार, निवासी रकमपुरा के नाम थी, जो उनके द्वारा उनकी पुत्री श्रीमती रूपीबाई निवासी नवाणिया को पंजीकृत बक्षीश पत्र दिनांक 18.06.1960 से बक्षीस कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। श्रीमती रूपीबाई ने अपने जीवनकाल में उपरोक्त आराजीयात को वसीयत पत्र दिनांक 22.08.2013 से अपने चारों पुत्र अपीलार्थी के नाम कर दी। श्रीमती रूपीबाई के देहावसान के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत न कर विरासत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत कर अपीलार्थी के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या-1 से 4, पुत्रियां, को भी नाम नामान्तरकरण में अंकित कर दिया जबकि प्रत्यर्थी संख्या-1 से 4 का उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है। अपील में उपरोक्त वर्णित आराजीयात को अपीलार्थीगण के नाम हिस्सा बराबर से अंकित किये जाने का आदेश फरमाये जाने का अनुरोध किया।

- उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए निर्णय दिनांक 25. 02.202 पारित किया कि ''**हस्तगत प्रकरण पर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पूर्णतः लागू होते**

है ऐसे में यह न्यायालय रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियों को स्वीकार करती है एवं अपील अपीलान्ट्स जो कि वसीयत के आधार पर रेस्पोडेंट्स के हक वंचित करना चाहते है, जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है अपीलान्ट्स सक्षम न्यायालय से चाही गई दाद प्राप्त कर सकता, अतः अपील अपीलान्ट्स को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।''

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित निर्णय 25.02.2020 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 03.03.2020 को अपील प्रस्तुत की गई। प्रत्यर्थी संख्या-2 द्वारा प्रकरण में केवियट प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण व केवियटकर्ता को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या-2 द्वारा प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत की गई। वकील अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-41 नियम 27 सपठित धारा-151 सिप्रस एवं जवाब प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत किये। दिनांक 18.08.2020 को अधिवक्ता अपीलार्थी एवं अधिवक्ता प्रत्यर्थी-2 की प्रारम्भिक आपत्तियों पर बहस सुनी गई, अधिवक्तागण द्वारा अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 15.09.2020 से निर्णय पारित किया कि ''चूंकि वसीयत की वैधता एवं प्रमाणन पर प्रारम्भिक आपत्ति में निस्तारण करना प्रारम्भिक स्तर पर किया जाना उचित नहीं है, इसलिए अपील पर गुणावगुण पर सुनवाई करते समय प्रारम्भिक आपत्ति को निस्तारित किया जावेगा। प्रकरण की परिस्थितियों यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि, जो इस अपील से सम्बन्धित हैं, उसको पक्षकारान द्वारा दुर्व्ययन करने, हस्तानतरित करने, बिकाव करने, नुकसान पहुंचाने एवं अन्य संक्रान्त किये जाने की संभावना है, जिससे दुसरे पक्षकार के न्याय के उद्देश्य विफल हो जायेगा। साथ ही अपील कार्यवाही में विवादग्रस्त सम्पत्ति के परिरक्षण और वास्तविक आधिपत्य के संरक्षण के लिये निवारक अनुतोष की अत्यन्त तीव्र आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में हम विवादित भूमि की मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखा जाना उचित समझते हैं। हस्तगत अपील के उभय पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह अपील के निर्णय तक विवादित भूमि का हस्तान्तरण व अन्तरण न करें, आगे बिकाव न करें, मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।'' दौराने अपीलीय कार्यवाही अधिवक्ता प्रत्यर्थी-2 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-41 नियम 27 सपठित धारा-151 सिप्रस प्रस्तुत किया गया। दौराने अपीलीय कार्यवाही अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-151 जा.दी. का प्रस्तुत किया जिस पर अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत

किया गया। दिनांक 24.11.2020 को वकील अपीलार्थी एवं वकील प्रत्यर्थी-2 उपस्थित, अन्य अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ता की प्रार्थना पत्रों व गुणावगुण पर विस्तृत बहस को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील एवं मौखिक बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात के मूल खातेदार रूपाबाई उर्फ रूपीबाई के द्वारा की गई वसीयत दिनांक 22.08.2013 उसके सभी वारिसानों की भली जानकारी एवं सहमति के आधार पर सही, सत्य एवं निर्णायक होकर उक्त वसीयत को रेस्पोडेंट के द्वारा आज दिनांक तक किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई। उक्त वसीयत के आधार पर तहसीलदार, वल्लभनगर द्वारा सभी पक्षकारों की सुनवाई करते हुए भू-राजस्व अधिनियम की धारा-135(2) की कार्यवाही कर विस्तृत सुनवाई कर वसीयत को सही एवं प्रमाणित मानते हुए राजस्व ग्राम नवानिया की श्रीमती रूपाबाई उर्फ रूपीबाई की समस्त आराजीयात को अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरित किये जाने का आदेश प्रदान कराया जाकर नामान्तरकरण खोला जा चुका है। जिसमें तहसीलदार द्वारा वारिसानों के बयान भी लिये गये जिन्होनें सभी ने वसीयत की ताईद की गई। उक्त सुनवाई में रेस्पोडेंट संख्या-1 कौशल्या को भी पक्षकार बनाया गया जिनके द्वारा तहसीलदार, वल्लभनगर के समक्ष अपना सहमति पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेंट संख्या-2 ने अपने अधिवक्ता को नियुक्त किया जिनके द्वारा नामान्तरकरण खोलने बाबत किसी प्रकार की आपत्ति अथवा विरोध जाहिर न कर अपनी मौन स्वीकृति दी गई। तहसीलदार, वल्लभनगर के निर्णय को रेस्पोडेंट संख्या-1 व 2 द्वारा किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं दी गई, ऐसे में रेस्पोडेंट संख्या-2 द्वारा उक्त वसीयत को फर्जी कहने का कोई अधिकार नहीं है, विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियों में जहां एक सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा सभी पक्षों की सुनवाई एवं बयान लेखबद्ध कर वसीयत को सही एवं प्रमाणित मानकर नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश पारित किया गया। ऐसे में जब रेस्पोडेंट की जानकारी में वसीयत का तथ्य था किन्तु इसके बावजुद भी ग्राम पंचायत बेडवास को गलत तथ्य बताकर नामान्तरकरण खुलवाया जिसकी जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। जहां तक विक्रय का प्रश्न है, विवाद के लम्बित होने के दौराने लिस्पेन्डेस के सिद्वान्त के अनुरूप तथाकथित अंतरिति को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है, ऐसे अन्तरण अपीलान्ट के मुकाबले प्रारम्भ से ही रद्द, शुन्य व बेअसर है। अपीलार्थी वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण कराने में स्वतंत्र है, यदि रेस्पोडेंट को वसीयत से कोई आपत्ति है तो उसे वसीयत निरस्त कराने हेतु सिविल न्यायालय में जा सकते है। रेस्पोडेंट द्वारा जिस दावे का हवाला दिया जा रहा है, वह किसी प्रकार से गुणावगुण पर अंतिम रूप से निस्तारित नहीं हुआ है, न ही

उसमें किसी व्यक्ति के अथवा वसीयत के संदर्भ में किसी प्रकार का हक तय कर दिये गये है ऐसी सुरत में नामान्तरकरण कार्यवाही पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है, अपील पूर्णतया मेन्टेनेबल है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने प्रस्तुत किया है कि वसीयत मौजा रकमपुरा के अलावा भी मौजा नवानिया एवं मौजा बानसेन के आराजीयता के सम्बन्ध में की गई है जिससे रेस्पोडेंट संख्या 1, 3, 4 ने अपनी सहमति दी है। सहमति स्वरूप स्टाम्प पर सहमति पत्र निष्पादित कर नोटेरी से प्रमाणित करा दिया है। रेस्पोडेंट संख्या-2 की ओर से जो कानूनी दृष्टांत प्रस्तुत किए गए है वह संदिग्ध वसीयत के सम्बन्ध में है जबकि रूपीबाई द्वारा की गई वसीयत संदिग्ध नहीं है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या-1, 3, 4 वसीयत को स्वीकार कर रहे है। वसीयत के देखने से स्पष्ट जाहिर है कि रूपीबाई ने वसीयत स्वतंत्र इच्छा से की है व वसीयत में अपने किसी वारिस को अपनी सम्पत्ति से मेहरूम नहीं रखा है। वसीयत साक्ष्य के आधार पर साबित है। विवादित भूमि रूपीबाई को अपनी मां मोडीबाई ने रजिस्टर्ड बक्षीस की है, अतः यह भूमि रूपीबाई की स्वअर्जित है, जिसे रूपीबाई का वसीयत करने का पूरा हक व अधिकार है। उक्त वसीयत के सम्बन्ध में मौजा नवानिया की आराजीयात के सम्बन्ध में नामान्तरकरण खोले जाने का प्रार्थना पत्र अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार, वल्लभनगर के यहा प्रस्तुत किया गया जिसमें रूपाबाई के सभी वारिसान यानि अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या- 1 से 4 को भी तलब किया गया व सभी की उपस्थिति में वसीयत के सम्बन्ध में साक्ष्य ली जाकर वसीयत को साबित माना जाकर नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश पारित किया है जिसमें रेस्पोडेंट संख्या-2 भी शामिल है व रूपाबाई के सभी वारिसान के मुकाबले कथित वसीयत को साबित कराया गया है लेकिन उसके बावजूद भी अब रेस्पोडेंट संख्या-2 द्वारा गलत आपत्ति उठाई गई है जो चलन योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को गुणदोषों पर बिना सुने कथित निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्यायालय के सिद्धान्त के विपरित है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत (RLW 2002 RJ 27, RJW 2009(1) RJ 41, RLW 2008(2) RJ 1342 (Raj), RLW 2007 (1) RJ 537, RLW 2010(2) RJ 1188, (2007) 4 SUPREME COURT CASES 221, (2007) 8 SUPREME COURT CASES 751, AIR 1994 SUPREME COURT 853) प्रस्तुत किए।

अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या-2 ने बहस में कथन किया कि ग्राम रकमपुरा के आराजी संख्या-431 से 434 कुल किता 4 रकबा 1.1000 हैक्टयर भूमि के विरासत के नामान्तरकरण उपरान्त अपीलार्थी द्वारा एक फर्जी वसीयत तैयार कर जो अपील प्रस्तुत की गई है वह मेन्टेनेबल नहीं है। कथित फर्जी वसीयत होने से वसीयत को वैलिड घोषित कराने का वाद केवल दीवानी न्यायालय में ही लाया जा सकता है। यह वसीयत न तो किसी स्टाम्प पर है, न ही वसीयत रजिस्टर्ड ही है, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये उनको देखने से ही स्पष्ट है कि यह वसीयत फर्जी है। रेस्पाडेंट संख्या-2 द्वारा अपना हक आगे विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया है। वसीयत के आधार पर नियमित वाद अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिकारों की घोषणा करवाने चाहिए, ऐसे में भी अपील लाई नहीं होती है। यह वसीयत स्पष्ट रूप से संदिग्ध है, आप रेस्पोडेंट से सहमति दिलवा दें तो भी उसके आधार पर म्यूटेशन नहीं खोला जा सकता है। यह समरी कार्यवाही है तथा इसमें दावा तय हो जाने से अपील इन्फ्रेक्चुअस हो चुकी है। अपीलान्ट ने जिला न्यायाधीश के यहां उक्त जमीन सहित अन्य जमीनों को भी वाद घोषणा बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया वह वाद जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय क्रम संख्या-3 के यहां ट्रांसफर किया व अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने इस मामलें में खरीददार की ओर से आदेश 7 नियम 11 पर बहस सुनकर कथित वाद निरस्त कर दिया ऐसी स्थिति में अपील इन्फ्रेक्चुअस हो चुकी है। खातेदार रेस्पोडेंट संख्या-2 ने उक्त जायदाद में से अपना कुलिया हक व हिस्से का हस्तान्तरण श्री लक्ष्मीलाल के हक में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से किया जाकर कब्जा खरीददार को सिपुर्द कर दिया जिसका अमलदरामद भी हो चुका है।

वकील रेस्पोडेंट संख्या-2 द्वारा बहस में प्रस्तुत किया कि नामान्तरकरण संख्या 122 दिनांक 21.09.2015 रूपीबाई के समस्त प्राकृतिक विधिक वारिसान के नाम पर स्वीकृत किया गया है। अगर कोई व्यक्ति वसीयत के आधार पर क्लेंम करता है तो उसे सिविल कोर्ट में दावा कर वसीयत को सही साबित करना होता है। वसीयत व एडोप्शन के आधार पर कोई व्यक्ति अपना राईट टाईटल होना क्लेम करते है तो वह म्यूटेशन नहीं किया जा सकता है, उस व्यक्ति को सक्षम न्यायालय में दावा पेश कर दाद हासिल करनी होती है। जहा प्राकृतिक उत्तराधिकार तथा वसीयत के आधार पर विवाद हो वहा प्राकृतिक उत्तराधिकार को अधिमान्यता दी जानी चाहिये। अपीलान्ट ने दावें के तथ्यों को छिपाते हुए गलत अपील पेश की है यह वसीयत स्पष्ट रूप से संदिग्ध है, आप रेस्पोडेंट से सहमति दिलवा दे तो भी इसके आधार पर म्यूटेशन नहीं खोला जा सकता है क्योंकि

रेस्पोडेंट प्रेमबाई ने शुरू से ही इसका विरोध किया है तथा अन्य रेस्पोडेंट भी विरोध कर रहे है क्योंकि वे कहते है कि हमारे से धोखे से हस्ताक्षकर लालच देकर करवाये है जबकि वास्तव में वसीयत रूपीबाई के मरने के बाद तैयार की गई है। यह फर्जी वसीयत है तथा उस पर साख के रूप में भी अपीलान्ट के मिलने वालों के ही हस्ताक्षकर करवाये है। जब दावा तय हो चुका है तो ऐसी स्थिति में म्यूटेशन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर पूर्ण विचार कर तार्किक निर्णय पारित कर किया है। अंत में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-2 ने अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखे जाने का अनुरोध किया ळें अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-2 द्वारा न्यायिक दृष्टांत (RBJ 2014 P.19, RBJ 2017 P.356, RBJ 2015 P.412, RBJ 2009 P. 312, RRT 2003(1) P. 650, RRT 2009(1) P. 500, RBJ 1999 P.474, RRD 2004 P.727, DNJ 2019(3) P.153, RBJ 2008 P.67) प्रस्तुत किए।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रार्थना पत्र, निर्णय दिनांक 15.09.2020 में किये विवेचन, गुणावगुण पर की गई बहस एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन एवं परिशीलन किया। साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया।

अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 मय दस्तावेज पेश किया। प्रस्तुत किए गए दस्तावेज राजकीय विभाग से जारी की गई प्रमाणित प्रतियां एवं फोटोप्रतियां है, हस्तगत प्रकरण में निर्णय प्रतिपादित किये जाने में सहायक होगे, जिससे यह दस्तावेज आदेश 41 नियम 27 (ख) के परिपेक्ष्य में रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अतः प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश धारा-41 नियम 27 स्वीकार किये जाते है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से उजर होता है कि मौजा रकमपुरा पटवार मण्डल भोईयों की पंचोली तहसील गिर्वा की आ.स. 431 से 434 किता 4 रकबा 1.10 हैक्टयर भूमि श्रीमती रूपीबाई पत्नि श्री ऊंकार के दर्ज थी तथा आराजी चाह न. 429 रकबा 0.0400 है. में 3/8 हिस्सा था। उक्त भूमि श्रीमती रूपीबाई जो जरिये रजिस्टर्ड बक्षीशनामें से प्राप्त हुई है। श्रीमती रूपीबाई के स्वर्गवास होने उपरान्त ग्राम पंचायत बेड़वास द्वारा आ.स. 431 से 434 किता 4 रकबा

1.10 हैक्टयर भूमि का विरासत का नामान्तरकरण संख्या-122 दिनांक 21.09.2015 से श्रीमती रूपीबाई के सभी वारिसान (पुत्र एवं पुत्रियां) के नाम स्वीकृत किया। उक्त नामान्तरकरण से व्यथीत होने से अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी समक्ष अपील प्रस्तुत की गई क्योंकि उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में श्रीमती रूपीबाई द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 22. 08.2013 को निष्पादित कर उक्त आराजीयात अपीलार्थीगण के नाम कर दी। अभिलेख पर उपलब्ध वसीयत की प्रति से यह पाया गया कि उक्त वसीयत अपंजीकृत होकर एक सादे कागज पर निष्पादित की गई जिसे दो गवाहों का हस्ताक्षर कराये गये है। रजिस्ट्रेशन कानून के अनुसार वसीयत का पंजीकरण होना आवश्यक नहीं है। हम यहा यह उल्लेख किया जाना अत्यावश्यक समझते है कि अपीलार्थी का आक्षेप है कि ग्राम पंचायत ने वसीयत को अनदेखा कर मृतक श्रीमती रूपीबाई के वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। किन्तु दौराने अपीलीय कार्यवाहियां अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या अन्यथा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व ही वह ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अपना वसीयती दावा जता चुके थे। ऐसे किसी प्रार्थना पत्र की प्रतियां अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। प्रावधानों अनुसार विरासत के आधार पर नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया है, जो इस हेतु सक्षम थी। प्राकृतिक वारिसान के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण का अपीलार्थी द्वारा वसीयत के आधार पर चुनौती दी है न्यायिक दृष्टांत 2008 आरआरडी 186 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि वसीयत को इस बात का प्रमाण नहीं माना जा सकता है कि प्राकृतिक वारिसान के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण अवैध है।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या-2 श्रीमती प्रेमबाई द्वारा आरम्भ से उक्त अपंजीकृत वसीयत पर आपत्ति जाहिर की है। दौराने प्रश्नगत अपीलीय कार्यवाही में, श्रीमती कोशल्या बाई द्वारा भी उक्त अपंजीकृत वसीयत पर आपत्ति जाहिर की। ऐसे में अपंजीकृत वसीयत विवादित एवं विवादास्पद है जिसे प्रमाणित कराने का दायित्व एवं भार अपीलार्थी पर है। अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपंजीकृत वसीयत की वैधता के प्रमाणन के सम्बन्ध में वसीयत के आधार पर तहसीलदार (भू.अ.) वल्लभनगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2017 (प्रकरण संख्या-02/2016) को आधार बनाया है परन्तु प्रत्यर्थी संख्या-2 श्रीमती प्रेमबाई द्वारा तहसीलदार, वल्लभनगर के उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की जो

विचाराधीन एवं लम्बित होने का कथन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष प्रस्तुत अपील की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की। अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश subjudice होने से उसे अंतिम नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुत दस्तावेजों में माननीय अपर जिला एवं सेसन न्यायाधीश, क्रम संख्या-3 मुकाम उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.07.2020 की प्रति प्रस्तुत की जिसके अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा श्रीमती प्रेमबाई व अन्य के विरूद्ध विवादित भूमि के सम्बन्ध में दायर वाद को खारिज कर दिया, उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर वाद दायर किया था जिसे श्रीमती प्रेमबाई द्वारा अपने हिस्से की विक्रय गई भूमि के खरीददार श्री लक्ष्मीलाल के प्रार्थना पत्र पर निरस्त किया गया। **यह प्रकट करता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित दाद हेतु बहुल वाद का रास्ता अपनाया जाकर अनुतोष चाहा जा रहा है जो अनुचित है।** इस कथन का समर्थन के रूप में माननीय अपर जिला एवं सेसन न्यायाधीश, क्रम संख्या-3 मुकाम उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.07.2020 के प्रांसगिक अनुच्छेद का वर्णन किया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार है-

''जहां तक मौजा रकमपुरा तहसील गिर्वा में स्थित कृषि आराजीयात के स्वामित्व व आधिपत्य की घोषणा मुताबिक प्रश्नगत वसीयत दिनांक 22.08.2013 के जो खातेदार अधिकार आदि के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अनुतोष चाहा है उसी प्रकार का अनुतोष वादीगण व प्रतिवादी चमन शेखर व चंचल शेखर की ओर से उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के समक्ष ग्राम पंचायत बेड़वास के आदेश के विरूद्ध अपील प्रकरण संख्या-6/16 प्रस्तुत कर चाहा गया था। जिसमें वादीगण को इच्छानुरूप अनुतोष प्राप्त नहीं होने पर उसके संबंध में उनके द्वारा उसकी अपील संभागीय आयुक्त, उदयपुर के समक्ष किया जाना व वर्तमान में उसका लंबित होना वादीगण के वाद पत्र में दर्ज अभिकथनों के साथ वादीगण की स्वीकारोक्ति से भी प्रकट होता है जिससे यह उजागर होता है कि **वादीगण द्वारा हस्तगत वाद ग्राम रकमपुरा तहसील गिर्वा में स्थित कृषि भूमि के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय में अपील लम्बित रहने के दौरान उसकी इच्छानुसार अनुतोष प्राप्त नहीं होने पर बाईपास रास्ता अपनाकर उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में उक्त कृषि भूमि की विषयवस्तु को भी हस्तगत वाद की विषयवस्तु बनाकर हस्तगत वाद प्रस्तुत किया है।**''

प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-151 जा.दी. का प्रस्तुत पर वसीयत पर आपत्ति प्रस्तुत की है (जो आगे किये गये विवेचनानुसार स्वीकार्य है)। श्रीमती प्रेमबाई द्वारा आरंभ

से ही आपत्ति जाहिर की है, ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अंपजीकृत वसीयत विवादग्रस्त एवं संदिग्ध है तो खातेदार के वारिसों को नामान्तरकरण में प्राथमिकता दी जायेगी। मृतक खातेदार के प्राकृतिक वारिसों के नाम अनुप्रमाणित किया गया भूमि का नामान्तरकरण को वसीयत के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है जब तक कि वसीयत के लाभार्थी द्वारा वसीयत की प्रमाणिकता एवं संदेह से परे सिद्ध नहीं किया जाता है क्योंकि प्राकृतिक वारिसों के विरूद्ध निष्पादित की गई वसीयत सदैव संदेह से घिरी रहती है। विवादित वसीयत की वैधता के सम्बन्ध में कोई अंतिम निष्कर्ष देना राजस्व न्यायालय के लिये नामान्तरकण की संक्षिप्त कार्यवाही में संभव नहीं है। नामान्तरकरण कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में उत्तराधिकार का जटिल प्रश्न, वसीयत या गोद के जटिल विवाद्यक का विनिश्चय किया जाना संभव नहीं है। स्वामित्व व स्वत्व की घोषणा घोषणात्मक वाद में ही की जा सकती है। अतः स्वामित्व स्थापित करने के लिये अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा करना चाहिये। मृतक खातेदार श्रीमती रूपीबाई के वारिसान को छोड़कर ऐसी विवादित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण सिर्फ अपीलार्थीगण के पक्ष में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मृतक श्रीमती रूपीबाई के वारिसान अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी-1 से 4 है जिसके पक्ष में नामान्तकरण स्वीकार होना चाहिए जो ग्राम पंचायत बेडवास द्वारा विधि सम्मत स्वीकृत किया गया। अपीलार्थीगण यदि मृतक श्रीमती रूपीबाई की उपरोक्त विवादित आराजीयात में कोई एकल/संयुक्त अधिकार रखता है तो वह सक्षम न्यायालय में अधिकारों की घोषणा कराने के लिये स्वतंत्र है जिससे हमारा यह निर्णय रेसजुडिकेटा नहीं माना जायेगा।

जहां तक वसीयत की वैधता एवं उसके प्रमाणन का प्रश्न है, उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि वसीयत का विवाद सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित होगा (2005 आरआरडी 401) और वसीयत की प्रमाणिकता की जांच सिविल न्यायालय द्वारा की जा सकती है (2019 आरआरडी-78, 79)। अतः वसीयत की वैधता एवं उसके प्रमाणन के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी किया जाना क्षेत्राधिकार से बाहर है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-2 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य एवं परिस्थितियों की समानता के आधार पर हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है और अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत चस्पा नहीं होते है।

हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः समस्त प्रार्थना पत्रों, दौराने बहस प्रस्तुत मौखिक व लिखित आपत्तियों, गुणावगुण पर प्रस्तुत बहस, प्रस्तुत दस्तावेजों और पत्रावलियों पर सम्पूर्ण विचार विश्लेषण उपरान्त किये गये उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार एवं अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2020 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर